न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
रे.फौ. संख्या– 285/15
राज्य बनाम श्रीमती जेतीदेवी

10.09.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त पुष्कर मफरूर है। अभियुक्त रामचन्द्र उपस्थित। अभियुक्ता जेतीबाई अनुपस्थित जिसकी ओर से अधिवक्ता अभियुक्त ने हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो आज के लिए स्वीकार किया। इस आदेश द्वारा अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है जिसका अधिवक्ता अभियुक्त ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त अनवानी मामला न्यायालय में विचाराधीन होकर वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत है। आरोपी श्रीमती जेतीदेवी के द्वारा वाहन ट्रक नं० आर० जे० 30 जी 2289 को श्रीराम फाईनेन्स कम्पनी राजसमंद के हाइपोथिकेशन में रहते हुए तथा ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना आरोपी तुलसीदास को विक्रय कर दिया तत्पश्चात आरोपी तुलसीदास के द्वारा इसे आरोपी पुष्कर को विक्रय किया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आरोपी तुलसीदास (वर्तमान में दिवंगत) के द्वारा प्रकरण से संगत उक्त वाहन को आरोपी पुष्कर को विक्रय करने के विकय इकरारनामा स्टाम्प तादादी 100 रूपये निष्पादन दिनांक 15.04.13 की फोटोप्रति को प्रस्तुत किया गया था। फोटोप्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान पत्रावली में संकलित की गई है। यह विकयनामा प्रकरण से संगत होकर प्रकरण की महत्तवपूर्ण साक्ष्य है, जिसे विचारण के दौरान बतौर अभियोजन साक्ष्य श्रीमान् न्यायालय में प्रदर्शित करवाया जाना एवं प्रकरण के वास्तविक विनिश्चय पर पहुँचनें के लिये आवश्यक है। प्रकरण से संबन्धित उक्त सुसंगत मूल विक्रय इकरारनामा दिनांक 15.04.2013 स्टाम्प तादादी 100 रूपये (जिसके विक्रेता तुलसीदास व केता पुष्कर) उसके पक्षकारों के आधिपत्य / कब्जे में होना प्रकट हो रहा है। वर्तमान में आरोपी तुलसीदास पिता मोहनदास की मृत्यु हो चुकी है तथा आरोपी पुष्कर पिता रूपलाल मफरूर (फरार) है जिससे यह संभव नहीं हो पा रहा है कि उक्त विकय पत्र की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करवाई जा सके। अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी को आरोपी तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत उक्त विक्रय इकरारनामा दिनांक 15.04.2013 स्टाम्प तादादी 100 रूपये के

Mamta Jain
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
राजसमन्द

मूल से यांत्रिक प्रकिया से तैयार फोटोकॉपी उपलब्ध है। जिसे उपरोक्त परिस्थितियों में द्वितियक साक्ष्य के रूप में ग्राहय किया जाना एवं प्रदर्शित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय Cr.l.r. 2001 (SC) page 231 vipin v/s Gujrat state & scc 2010(6) page-1 sidhrth v/s dehli state में पारित न्याय निर्देश प्रासंगिक है। अंत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपी तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत उक्त विक्रय इकरारनामा दिनांक 15.04.2013 स्टाम्प तादादी 100 रूपये की फोटोप्रति दस्तावेज को द्वितियक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर न्यायालय में प्रदर्शित किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने अधिवक्ता अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि फोटोप्रति को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। अभियोजन अधिकारी ने अपनी कमी पूर्ति के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सुसंगतविधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अभियोजन अधिकारी का जरिए हस्तगत प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में दौराने अनुसंधान आरोपी तुलसीदास जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है, उसके द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत वाहन को आरोपी पुष्कर को विकय करने का विकय इकरारनामा स्टाम्प 100/– रूपए दिनांक 15.04.13 की फोटोप्रति प्रस्तुत की थी जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा संकलित की गई है। चूंकि वर्तमान में आरोपी तुलसीदास की मृत्यु हो चुकी है तथा आरोपी पुष्कर जिसके पक्ष में विकय इकरारनामा निष्पादित किया गया, हस्तगत प्रकरण में मफरूर है इसलिए उक्त विकय पत्र की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत किए जाना सम्भव नहीं है। अतः विकय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया है। उक्त तर्को को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया तो हस्तगत प्रकरण साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा जिस दस्तावेज दिनांक 15.04.13 विकय इकरार की प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया गया है।

Mamta Jain
10/9/2021

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
राजसमन्द

उक्त दस्तावेज विक्रय इकरारनामा होकर मुलजिम तुलसीदास द्वारा मुलजिम पुष्कर के पक्ष में निष्पादित किए जाना प्रकट हुआ है जिसमें 100/– रूपए के स्टाम्प पर तुलसीदास द्वारा पुष्करलाल को वाहन नं. आर.जे.30 जी 2289 को स्वयं के आधिपत्य का होकर द्वितीय पक्ष पुष्करलाल को 71,000/– रूपए में विक्रय कर उसमें से 21,000/– रूपए नकद प्राप्त करना व शेष 50 हजार रूपए 15.05.13 तक विक्रेता को अदा करने तथा बकाया रकम 5,00,000/– रूपए को चार किश्तों में द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करवाना तय करते हुए बेचान करने का तथ्य अंकित है। साथ ही उक्त दस्तावेज पर तुलसीदास द्वारा पेशशुदा होने का अंकन होकर तुलसीदास के हस्ताक्षर हैं एवं हस्तगत प्रकरण में मुलजिमान् श्रीमती जेतीदेवी, तुलसीदास, पुष्करलाल व रामचन्द्र के विरूद्ध अपराध धारा 420,406,411,201,120बी के आरोप लगाये गये हैं। इस प्रकार उक्त विक्रय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 प्रकरण के न्यायिक निर्णयनहेतु सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज प्रकट होता है।

जहां तक उक्त दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राहय किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं जो निम्नानुसार है:–

65. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा— किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा –

(क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है—

जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है,

(ख) जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है,

Mamta 10/9/2025
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
राजसमन्द

(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है, अथवा जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

(घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता,

(ङ) जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है,

(च) जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है,

(छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है, जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है, संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है।

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। अवस्था (ख) में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है।

अवस्था (ङ) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा, जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है।

उक्त विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में जेतीदेवी द्वारा ट्रक संख्या आर.जे.30 जी 2289 को श्रीराम फाईनेंस कंपनी राजसमन्द के हाईपोथिकेशन में रहते हुए तथा ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना आरोपी तुलसीदास को विकय किए जाने एवं तत्पश्चात् तुलसीदास द्वारा उक्त प्रश्नगत वाहन को आरोपी पुष्करलाल को विकय किए जाना प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में मुलजिम तुलसीदास की मृत्यु होने से मुलजिम तुलसीदास के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तथा जिसके पक्ष में विकय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 निष्पादित किया गया है वह मुलजिम पुष्कर हस्तगत प्रकरण में वर्तमान में मफरूर है। अतः ऐसी परिस्थिति में मूल विकय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 न्यायालय की पहुंच से बाहर होना व मूल पेश होना सम्भव नहीं होने से विकय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 की प्रति को द्वितीयक साक्ष्य में ग्राह्य किए जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अतः

Mamta Jain
10/9/2025

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
राजसमन्द

गया है, अथवा जबकि

वाला पक्षकार अपने स्वं

से उसे युक्तियुक्त समय में पेश

अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विक्रय इकरारनामा दिनांक 15.04.13 की फोटोप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश सुनाया गया।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.7 किशनसिंह व पी.ड.8 अवतारसिंह के बयान लेखबद्ध किए गए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पूर्व नियत पेशी दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

Mamta Jain
10/9/2025

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
राजसमन्द